रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 837] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2015/वैशाख 3, 1937
No. 837] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2015/VAISAKHA 3, 1937

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2015

का.आ. 1072(अ).– केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा सरंक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 18 के साथ पठित धारा 14 के खंड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से और भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 290 (अ.) तारीख 30 जनवरी, 2014 को अधिक्रांत करते हुए क्वाड्रिसाईकिल से भिन्न कम से कम चार पहियों वाले मोटर यान (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मोटरयान कहा गया है), जो केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के अधीन टाईप अनुमोदित है और जो यात्रियों और उनके सामान के वहन के लिए प्रयुक्त होते हैं और जिसमें ड्राईवर की सीट सहित नौ सीट से अधिक सीट समाविष्ट न हों और यान का सकल भार तीन हजार पांच सौ किलोग्राम से अधिक नहीं है के लिए ऊर्जा खपत मानक उक्त प्रवर्ग के मोटर यानों के विक्रय के लिए विनिर्माण या आयात करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :–

2. (1) उक्त मोटर यानों का प्रत्येक विनिर्माता नीचे यथा उपबंधित औसत ऊर्जा खपत मानकों के निबंधनों के अनुसार ऊर्जा खपत मानकों का अनुपालन करेगा : –

(i) "औसत ईंधन खपत मानक = ए x (डब्ल्यू–बी) + सी

जहां,

ए = स्थिरांक गुणक

औसत ईंधन खपत मानक = विनिर्माता का प्रति 100 किलोमीटर पेट्रोल के समतुल्य लीटर में औसत ईंधन खपत मानक;

बी = नियत स्थिरांक;

सी = नियत स्थिरांक;

डब्ल्यू = विनिर्माता द्वारा विक्रय के लिए विनिर्मित या आयातित सभी नए उक्त मोटर यान का किलोग्राम (कि.ग्रा.) के लदान के बिना भारित औसत;

(ii) गुणक स्थिरांक और नियत स्थिरांक भारत में उक्त मोटरयान के विनिर्माण या आयात के वर्ष पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित सारणी 1.1 और सारणी 1.2 से अवधारित किए जाएंगे, अर्थात्:–

सारणी 1.1

(वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 के लिए)

ए	0.0024
बी	1037
सी	5.4922
विनिर्माता के लिए औसत ईंधन खपत मानक	0.0024 x (डब्ल्यू–1037) + 5.4922

सारणी 1.2

(वित्तीय वर्ष 2022–23 और उससे आगे के लिए)

ए	0.002
बी	1145
सी	4.7694
विनिर्माता के लिए औसत ईंधन खपत मानक	0.002 x (डब्ल्यू–1145) + 4.7694

(iii) जहां किसी विनिर्माता के लिए लदान के बिना भार का भारित औसत (डब्ल्यू) निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार संगणित किया जाएगा :–

$$\text{डब्ल्यू} = \sum \text{एन}_{\text{आई}} \text{डब्ल्यू}_{\text{आई}} / \sum \text{एन}_{\text{आई,}}$$

जहां,

$\text{एन}_{\text{आई}}$ = संबंधित वित्तीय वर्ष में मॉडल आई के भारत में विक्रय के लिए विनिर्मित या आयातित उक्त मोटर यानों की संख्या;

$\text{डब्ल्यू}_{\text{आई}}$ = संबंधित वित्तीय वर्ष में किसी मॉडल आई का किलोग्राम में लदान के बिना भार।''

(2) केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से परामर्श करके, अधिसूचना द्वारा सारणी 1.2 में यथा विनिर्दिष्ट 'बी' का मूल्य संशोधित कर सकेगी, परंतु कलैण्डर वर्ष 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 के दौरान विनिर्मित या आयातित सभी यानों का लदान के बिना औसत भार एक हजार एक सौ पैंतालीस किलोग्राम से कम है, जिस दशा में उक्त अवधि में सभी यानों का लदान रहित औसत भार 'बी' का मूल्य होगा।

(3) वास्तविक ईंधन खपत का औसत निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार अवधारित किया जाए–

(i) विनिर्माता के लिए प्रति एक सौ किलोमीटर, लीटर के समतुल्य पेट्रोल में वास्तविक ईंधन खपत का औसत किसी वित्तीय वर्ष में विनिर्मित या आयातित उक्त सभी मोटर यानों की भारित औसत ईंधन खपत है और उसका अवधारण निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार किया जाएगा :–

$$\text{वास्तविक ईंधन खपत का औसत} = \sum \text{के}_{\text{आई}} \text{एन}_{\text{आई}} \text{एफसी}_{\text{आई}} / \sum \text{एन}_{\text{आई}}$$

जहां,

$\text{एन}_{\text{आई}}$ = किसी मॉडल आई के विक्रय के लिए विनिर्मित या आयातित यानों की संख्या,

$\text{एफसी}_{\text{आई}}$ = किसी मॉडल आई की प्रति 100 किलोमीटर, लीटर में पेट्रोल के समतुल्य ईंधन खपत,

$\text{के}_{\text{आई}}$ = विद्युत वाहनों के लिए समतुल्य वाहन क्रेडिट।

IndiaCode

(ii) प्रत्येक मॉडल की लीटर में प्रति एक सौ किलोमीटर ईंधन खपत (एफसी), पेट्रोल, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) इंजन यान से टेलपाइप उत्सर्जन के लिए मानकों के ब्यौरों की प्रक्रिया और केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट परीक्षण प्रक्रिया से व्युत्पन निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार अवधारित की जाए :—

(क) प्रत्येक मॉडल में प्रति एक सौ किलोमीटर (पेट्रोल, एलपीजी या डीजल के मामले में) लीटर के रूप में तथा सीएनजी के मामले में प्रति एक सौ किलोमीटर किलोग्राम में वास्तविक ईंधन खपत निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार संगणित की जाए :

$$\text{एफसी}_{\text{पेट्रोल}} = 0.04217 \times \text{सीओ}_2$$

$$\text{एफसी}_{\text{डीजल}} = 0.03776 \times \text{सीओ}_2$$

$$\text{एफसी}_{\text{एलपीजी}} = 0.06150 \times \text{सीओ}_2$$

$$\text{एफसी}_{\text{सीएनजी}} = 0.03647 \times \text{सीओ}_2$$

जहां,

सीओ_2 = टाईप अनुमोदित के अनुसार प्रति किलोमीटर, ग्राम में, कार्बन डाईऑक्साइड का मापित उत्सर्जन;

(ख) टाईप अनुमोदन के अनुसार प्रत्येक विद्युत चालित मॉडल की वास्तविक ईंधन खपत का मापन कि.वा. घं. प्रति एक सौ किलोमीटर के आधार पर किया जाए।

(ग) डीजल, एलपीजी, सीएनजी और विद्युत चालित मोटर यानों में पेट्रोल के समकक्ष वास्तविक ईंधन खपत उपरोक्त (क) और (ख) में निर्दिष्ट वास्तविक ईंधन खपत से नीचे विनिर्दिष्ट परिवर्तित गुणनखंडों के साथ गुणा करके अभिप्राप्त की जाएगी :—

ईंधन का प्रकार	पेट्रोल के समकक्ष परिवर्तित गुणनखंड
डीजल	1.1168
एलपीजी	0.6857
सीएनजी	1.1563
विद्युत	0.1028

3. 01 अप्रैल, 2017 से आरंभ, अगले किसी वित्तीय वर्ष में, पैरा 2 के उप—पैरा (2) में यथा विनिर्दिष्ट वास्तविक ईंधन खपत संबंधित वित्तीय वर्ष के पैरा 2 के उप—पैरा (1) में यथा विनिर्दिष्ट औसत ईंधन खपत मानक से कम या उसके समान हो।

4. अनुपालन और प्रवर्तन — (1) भारत में उक्त मोटर यानों के विक्रय करने वाले सभी विनिर्माता या आयातकर्ता इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऊर्जा खपत मानकों का पालन करें।

(2) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अधीन विद्युत चालित मोटर वाहनों के लिए परीक्षण एवं परिकलन प्रणालियों, रिपोर्टिंग उत्पादन की पुष्टि, अल्पीकरण, एकत्रीकरण तथा अनुपालन न करने के परिणामों और समतुल्य यान क्रेडिट से संबंधित प्रावधानों के साथ इस नियम का प्रवर्तन करेगा।

[सं. 10/7/2008—ईसी]

सतीश कुमार, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2015

S.O. 1072(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of Section 14 read with Section 18 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 290(E), dated the 30th January, 2014, hereby specifies energy consumption standards for motor vehicles which are type approved under the Central Motor Vehicle Rules, 1989, with at least four wheels, other than quadricycles, used for the carriage of passengers and their luggage and comprising not more than nine seats including driver's seat, and of Gross Vehicle Weight not exceeding three thousand and five hundred kilograms (hereinafter referred to as the said motor vehicle) for the purpose of manufacturing or importing for sale of the said category of motor vehicles in the following manner, namely:—

2. (1) Each manufacturer of the said motor vehicles shall comply with energy consumption standard in terms of Average Fuel Consumption Standards as provided below:—

(i) The Average Fuel Consumption Standard = a x (W-b) + c,

where,

a = Constant Multiplier

Average Fuel Consumption Standard = Average Fuel Consumption Standard of manufacturer in petrol equivalent liter per 100 kilometer;

b = Fixed Constant;

c = Fixed Constant;

W = Weighted average of unladen mass in kilogram (kg) of all new said motor vehicle, manufactured or imported for sale by the manufacturer;

(ii) the constant multiplier and the fixed constants shall be determined from Table 1.1 and Table 1.2 as given below depending upon the year of manufacturing or import of the said motor vehicle in India, namely:—

Table 1.1

(for fiscal years 2017-18 to 2021-22)

a	0.0024
b	1037
c	5.4922
Average Fuel Consumption Standard for Manufacturer	= 0.0024 x (W – 1037) + 5.4922

Table 1.2

(fiscal year 2022-23 onwards)

a	0.002
b	1145
c	4.7694
Average Fuel Consumption Standard for Manufacturer	= 0.002 x (W – 1145) + 4.7694;

IndiaCode

(iii) where weighted average Unladen Mass (W) for a manufacturer is calculated as per the following formula:—

$$W = \sum N_i W_i / \sum N_i,$$

where,

N_i = Number of the said motor manufactured or imported for sale in India of a model i in the respective fiscal year;

W_i = Unladen mass in kilogram of a model i in the respective fiscal year.

(2) The Central Government may, by notification, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, revise the value of 'b' as specified in Table 1.2 provided the average unladen mass of all the vehicles manufactured or imported during the calendar year 1st January, 2016 to 31st December, 2016 is less than one thousand one hundred and forty five kilograms, in which case the average unladen mass of all the vehicles in the said period will be the value of 'b'.

(3) The Average of Actual Fuel Consumption shall be determined as per the following procedure:—

(i) Average of Actual Fuel Consumption in petrol equivalent liter per one hundred kilometer for a manufacturer is the weighted average fuel consumption of all the said motor vehicles, manufactured or imported in a fiscal year and shall be determined as per the following formula:—

$$\text{Average of Actual Fuel Consumption} = \sum K_i N_i FC_i / \sum N_i$$

where,

N_i = Number of vehicles manufactured or imported for sale of a model i,

FC_i = Petrol equivalent fuel consumption in liter per 100 kilometer of a model i;

K_i = Equivalent vehicle credits for electric vehicles;

(ii) the Fuel Consumption (FC) in liter per one hundred kilometer of every model shall be determined as per the following formula derived from the procedure for Details of Standards for Tailpipe Emissions from Petrol, Diesel, Liquefied Petroleum Gas (LPG) and Compressed Natural Gas (CNG) Engine Vehicles and Test Procedure as specified under the Central Motor Vehicle Rules, 1989;

(a) the actual fuel consumption of every model in terms of the liter per one hundred kilometer (in the case of petrol, LPG or diesel) and in kilogram per one hundred kilometer in the case of CNG shall be calculated by the following formulae:

$$FC_{petrol} = 0.04217 \times CO_2$$
$$FC_{diesel} = 0.03776 \times CO_2$$
$$FC_{LPG} = 0.06150 \times CO_2$$
$$FC_{CNG} = 0.03647 \times CO_2,$$

where,

CO_2 = the measured emission of carbon dioxide in gram per kilometer as per type approval;

(b) the actual fuel consumption of every electricity driven model shall be measured in terms of kWh per one hundred kilometer as per type approval;

(c) the actual fuel consumption in petrol equivalent for diesel, LPG, CNG and electricity driven motor vehicles shall be obtained by multiplying the actual fuel consumption referred to in (a) and (b) above with the conversion factors specified below:—

Fuel Type	Conversion Factor to Petrol equivalent
Diesel	1.1168
LPG	0.6857
CNG	1.1563
Electricity	0.1028

3. In any fiscal year commencing from the 1st day of April, 2017 onwards, the Average of Actual Fuel Consumption as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 shall be less than or equal to Average Fuel Consumption Standard as specified in sub-paragraph (1) of paragraph 2 of the respective fiscal year.

4. Compliance and enforcement.- (1) All the manufacturers or importers selling the said motor vehicles in India shall comply with the energy consumption standards specified in this notification.

(2) The Ministry of Road Transport and Highways shall enforce the same along with provisions related to testing and calculation methodologies, reporting, conformity of production, derogation, pooling and consequence of non-compliance; and equivalent vehicle credits for electricity driven motor vehicle under the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in consultation with Ministries concerned.

IndiaCode

[No. 10/7/2008-EC]

SATISH KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.